International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भूमण्डलीकरण के युग में निरस्त्रीकरण और विश्व–शान्ति का राजनैतिक सन्दर्भ

डॉ० अरूण कुमार (अतिथि शिक्षक)
राजनीति विज्ञान विभाग,
गजाधर भगत महाविद्यालय, नवगछिया,
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

भूमिका : प्रस्तुत आलेख के अन्तर्गत विश्व के राजनैतिक पटल पर निरस्त्रीकरण के दूरगामी महत्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। निरस्त्रीकरण को शान्ति एवं सुरक्षा का का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रों के मध्य अस्त्र स्पर्द्धा को समाप्त करके विश्व–शान्ति को चिरस्थायी बनाया जा सकता है। शस्त्रों की होड़, प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्रों के मध्य युद्ध का मूल कारण होता है। राष्ट्र अपनी सुरक्षा के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैनिक तैयारियों में लिप्त रहते हैं, परन्तु उनकी यह सैनिक तैयारी प्रतिस्पर्द्धी को भी प्रति–सैनिक तैयारी हेतु विवश कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच सैनिक तैयारी और प्रति–सैनिक तैयारी की अनवरत होड़ प्रारम्भ हो जाती है। यह प्रतिस्पर्द्धा ही राष्ट्रों के मध्य भय एवं सन्देह को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप युद्ध का जन्म होता है। इस दृष्टिकोण ने शास्त्र–स्पर्द्धा को नियन्त्रित और समाप्त करके ही युद्ध की सम्भावनाओं से विरत रहते हुए, विश्व–शान्ति का वातावरण निर्मित किया जा सकता है।

निरस्त्रीकरण की राजनैतिक अवधारणा : निरस्त्रीकरण का व्यावहारिक रूप में अर्थ होता है, सम्पूर्णरूप से शस्त्रों का परित्याग करना। हालाँकि यह एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है।

मारगेन्थाऊ के अनुसार– ''निरस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है।'' डॉ0 महेन्द्र कुमार के मतानुसार– ''निरस्त्रीकरण का अभिप्राय शस्त्रों के परिसीमन करने, उसे कम करने और उसे नियन्त्रण करने से होता है।''

संयुक्त राज्य अमेरिका (वाशिंगटन डी.सी.) ने निरस्त्रीकरण की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से की है– कोई भी योजना, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निरस्त्रीकरण के किसी भी एक पहलू, जैसे संख्या, प्रकार, शस्त्रों की प्रयोजन–प्रणाली, उसका नियन्त्रण और उसकी सहायता के लिए पूरक यन्त्रों का निर्माण, प्रयोग व वितरण, गुप्त सूचनाएँ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

एकत्र करने के संयन्त्र, सेना का संख्यात्मक स्वरूप आदि को नियमित करने के सम्बद्ध हो, निरस्त्रीकरण की श्रेणी में आती है।

इस प्रकार उल्लिखित परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है युद्ध सम्बन्धी समस्त हथियारों के समूल विनाश की क्रिया ही निरस्त्रीकरण है।

निरस्त्रीकरण की दिशा में किये गये राजनैतिक प्रयास : द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् निरस्त्रीकरण की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गये हैं–

परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना : संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 24 जनवरी सन् 1946 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक ऐसी योजना का निर्धारण करना था, जिसके अन्तर्गत राष्ट्र, परमाणु शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में बाँधने तथा अणु शक्ति का इस्तेमाल केवल शान्तिपुर्ण उद्देश्यों के लिए करने को सहमत हो सके और आण्विक शस्त्रों का प्रयोग व उत्पादन पर पूर्ण नियन्त्रण लगाया जा सके, लेकिन इस दिशा में किये प्रयासों का परिणाम पर्याप्त नहीं रहा।

बारूच की राजनैतिक योजना : 24 जून सन् 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने की बात कही गयी थी। सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इस योजना में परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने की राय दी गयी थी। सोवियत संघ के विरोध के बावजूद महासभा ने बारूच योजना का अनुमोदन कर दिया, लेकिन यह योजना व्यावहारिक रूप से स्वीकृत नहीं हुई।

जेनेवा का राजनैतिक सम्मेलन 1955 : जुलाई सन् 1955 में जेनेवा में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का सम्मेलन हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने 'अमुक्त आकाश–योजना' प्रस्तावित की। इसका आशय था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने सैनिक परिव्यय, उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं उसके विकास की सम्भावनाओं के बारे में एक–दूसरे को सूचना दें तथा परस्पर जाँच एवं निरीक्षण के लिए सहमत हों। एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाये। सोवियत प्रधानमंत्री बुल्गानिन ने सुयंक्त राज्य अमेरिकी योजना अस्वीकार करते हुए, अपना यह प्रस्ताव रखा कि निरस्त्रीकरण को क्रियान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण–अभिकरण की स्थापना की जाये, आण्विक अस्त्रों के परीक्षण पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और परम्परागत शस्त्रों में कटौती की जाये, परन्तु यह भी प्रयास असफल रहा।

रकापी की राजनैतिक योजना 1958 : पोलैण्ड के विदेशमंत्री रकापी ने मार्च सन् 1958 में पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी को अणु मुक्त क्षेत्र बनाये जाने का प्रस्ताव किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला; परिणामतः निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव में प्रतिरोध आ गया।

जेनेवा का राजनैतिक सम्मेलन 1958 : 31 अक्टूबर सन् 1958 को जेनेवा में निरस्त्रीकरण पर अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा कि आण्विक परीक्षण हमेशा के लिए बंद कर दिया जाये, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का कहना था कि परीक्षण 1 वर्ष के लिए बंद किये जाएँ किन्तु मतभेद इतने थे कि दोनों पक्षों में समझौता न हो सका।

आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध का राजनैतिक संधि : भारत सहित अनेक राष्ट्रों ने सन् 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध-संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार हवा या पानी में नाभिकीय परीक्षण निषिद्ध हो गया। इससे भूमिगत विस्फोटों के लिए प्रतिबन्ध नहीं था; साथ ही शान्तिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किये गये परीक्षणों पर निषेध नहीं था। यह निरस्त्रीकरण की दिशा में सही कदम था, लेकिन इसमें भूमिगत परीक्षणों को दी गयी अनुमति ने इसे भी असफलता के कगार पर पहुँचा दिया।

बाह्य आकाश का राजनैतिक संधि 1966 : इस संधि द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं ब्रिटेन ने बाह्य आकाश में आण्विक शस्त्रों की भेजा जाना निषिद्ध मान लिया। बाह्य आकाश के किसी भी भाग पर कोई भी देश राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दमन नहीं करेगा।

नाभिकीय प्रसार निषेध का राजनैतिक संधि 1968 : नाभिकीय अस्त्रों के क्षैतिज प्रसार को रोकने हेतु यह संधि अस्तित्व में आयी, किन्तु वास्तविकता यह है कि इस संधि के माध्यम से महाशक्तियाँ विश्व को दो खेमों में विभक्त कर अपनी नाभिकीय शक्ति पर अपना एकाधिकार रखना चाहती हैं। ज्ञातव्य है कि 17 अप्रैल सन् 1995 को न्यूयॉर्क में नाभिकीय प्रसार निषेध-संधि की समय-सीमा अनिश्चित काल तक बढ़ाने हेतु एक बैठक शुरू हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 178 देश परमाणु अप्रसार निषेध संधि की समयावधि अनिश्चित काल तक बढ़ाने पर भी फ्रांस और चीन अपने परमाणु अस्त्रों का परीक्षण जारी रखे हैं, जिससे इस संधि का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

प्रथम सामरिक अस्त्र परिसीमन का राजनैतिक संधि : सन् 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व–सोवियत संघ के मध्य हुई प्रथम सामरिक शस्त्र परिसीमन–संधि में दोनों देशों ने अपने आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों की संख्या न बढ़ाने तथा प्रतिरक्षात्मक प्रक्षेपास्त्रों की संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ब्लाडीबोस्टक शिखर का राजनैतिक सम्मेलन : 24 नवम्बर सन् 1974 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड तथा सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव के मध्य पुनः वार्ता हुई। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्व–सोवियत संघ को समान अणु शस्त्रों की संख्या रखने को राजी किया।

द्वितीय सामरिक अस्त्र परिसीमन का राजनैतिक संधि : 18 जून सन् 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पूर्व–सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये। जिमी कार्टर ने इस अवसर पर कहा था– यह समझौता शस्त्रों को सुरक्षा का मार्ग प्रदान करते हैं, यदि हम अपनी विनाशक शक्ति को नियंत्रित नहीं करते तो न ही हम अपने भाग्य को निर्देशित कर सकते हैं, न ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

सामरिक अस्त्र परिघटन की राजनैतिक वार्त्ता (स्टार्ट) : 29 जून सन् 1982 को जेनेवा में एक नयी वर्ता शुरूआत हुई, जिसका नाम सामरिक अस्त्र परिघटन वार्त्ता दिया गया। इसके अन्तर्गत सामरिक महत्व के आण्विक हथियारों में कमी के निमित्त सद्भावना–वार्ता शुरू हुई।

रिक्याविक का राजनैतिक सम्मेलन : अक्टूबर 1986 में आइसलैण्ड की राजधानी रिक्याविक में रीगन और गोर्बाचेव के बीच पुनः वार्त्ता हुई, मगर यह वार्त्ता भी असफल ही रही।

मध्य दूरी के परमाण्विक प्रक्षेपास्त्र निरोध का राजनैतिक संधि : 8 दिसम्बर सन् 1987 को रीगन और गोर्बाचेव के बीच यूरोप की भूमि पर से मध्यम दूरी तक मार करने वाले परमाण्विक प्रेक्षेपास्त्रों हटाने का निश्चय किया है।

पेरिस का राजनैतिक सम्मेलन : 7 से 11 जनवरी सन् 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रासायनिक हथियारों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया।

मॉस्को शिखर का राजनैतिक सम्मेलन : 11 जुलाई सन् 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और पूर्व–सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच मॉस्को में सम्पन्न शिखर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

सम्मेलन में सामरिक हथियारों की कटौती के बारे में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। परमाणु हथियारों को सीमित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका सारे विश्व में स्वागत हुआ।

18–जेनेवा का राजनैतिक वार्त्ता : 25 जनवरी सन् 1996 से जेनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण और व्यापक प्रतिबन्ध लगाकर एक समय सीमा में परमाणु अस्त्र समाप्त करने की संधि पर वार्त्ता हुई। संयुक्त राज्य अमेरिकी शस्त्र नियन्त्रण और निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परीक्षण प्रतिबन्ध वार्त्ता पूर्ण होना महत्वपूर्ण है, परिणामतः अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे अस्त्रों की संख्या की कटौती हो सके।

दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र को परमाणु मुक्त बनाने वाली राजनैतिक संधि : 26 मार्च सन् 1996 को संयुक्त राज्य अमेरिका–ब्रिटेन और फ्रांस ने दक्षिण प्रशांत को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए, एक संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के साथ ही दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में व्याप्त परमाणु परीक्षणों पर अब रोक लग जायेगी। संधि के तहत क्षेत्र में अब 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के सागर जलक्षेत्र और छोटे–छोटे द्वीपों में परमाणु परीक्षण नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि सन्धियाँ तो होती रहीं, परन्तु इतिहास के गर्भ में चली गयीं। कोई ठोस कदम इन अस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए अभी तक नहीं उठाया जा सका है; इसलिए निरस्त्रीकरण को सफल बनाने हेतु आण्विक राष्ट्रों को ही कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिससे विश्व में शान्ति का वातावरण निर्मित हो सके।

निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत की राजनैतिक भूमिका : भारत सदैव निरस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है। निरस्त्रीकरण विषयक संयुक्त राष्ट्र महासभा का दूसरा विशेष अधिवेशन 7 जून से 10 जुलाई सन् 1982 को न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रारम्भिक समिति का सदस्य होने के नाते, भारत ने अन्य गुट–निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर यह प्रयत्न किया कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान नाभिकीय युद्ध को रोकने और नाभिकीय निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्रित रहे। भारत ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इनमें नाभिकीय हथियारों पर रोक से सम्बन्धित एक संकल्प का प्रारूप भी था। राजीव गाँधी ने सन् 1988 में परमाणु अस्त्रों की समाप्ति से सम्बन्धित अपना 'कार्य योजना' प्रस्तुत किया

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

था। 13 जनवरी सन् 1992 को प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने सुरक्षा परिषद में कहा था कि राजीव गाँधी की 'कार्य योजना' की पुनरावृत्ति भी की थी।

हालाँकि भारत ने एन. पी.टी. और सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, परन्तु भारत ने सर्वदा सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की बात की है। वाशिंगटन-स्थित अमेरिकी थिंक टैंक संस्थान हेनरी एल. रिटम्सन केन्द्र के अध्यक्ष माइकेल क्रेपान ने दुनिया के विभिन्न समाचार-पत्रों में परमाणु परीक्षणों को प्रतिबन्धित करने वाली संधि (सी.टी.बी.टी.) के समर्थन में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत ही साहस के साथ अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका-सहित शेष 4 परमाणु शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन) की परमाणु-नीति की न केवल आलोचना की है, बल्कि भारत की परमाणु निरस्त्रीकरण नीति का समर्थन भी किया है।

जेनेवा में आण्विक परीक्षणों पर समग्र रोक के लिए प्रस्तावित संन्धि (सी. टी.बी.टी.) पर वार्त्ता जून सन् 1996 तक चलेगी। इसमें भारत की सक्रिय भागीदारी है। भारतीय विदेशमंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय दृष्टिकोण को सुस्पष्ट कर दिया है कि सी. टी.बी.टी. अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य विश्व को सभी किस्म के आण्विक हथियारों से मुक्ति दिलाना होना चाहिए।

निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि सँहारक अस्त्रों की समाप्ति के फलस्वरूप ही विश्व में शांति का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है, परन्तु विगत में सम्पन्न सन्धियों का कोई औचित्य प्रतीत होता नहीं दिखायी दिया; इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अणुशस्त्रधारी राष्ट्र अपनी सैनिक तैयारियों पर थोड़ा बहुत अंकुश लगायें। चीनी कहावत है- युद्ध बुरी चीज होती है। सैनिक तैयारियों से पड़ोसी राष्ट्रों में भय व्याप्त हो सकता है और इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लैरी प्रेसलर ने भी ब्राउन संशोधन के खिलाफ एक विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दक्षिण एशिया में विवाद की सम्भावना बहुत है; इसलिए इस स्थिति में वह महसूस करते हैं कि ऐसे अस्थिर माहौल में अगर किसी एक पक्ष को सैनिक मदद मंजूर की गयी तो यह गैर जिम्मेदारी की हद होगी।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 8, August- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 7.077 |

चीन में प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण और फ्रांस का परमाणु परीक्षण निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय रहा। वर्तमान मे, विश्व में एक शान्ति का माहौल कायम करने की बात चारों ओर से उठ रही है। ऐसे में चीन और फ्रांस के इन परीक्षणों से अवश्य ही एक भय का बादल छा गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्वेस शिराक की इस घोषणा से, कि अब उनका देश विश्वभर में निरस्त्रीकरण के लिए काम करेगा और यूरोप की रक्षा–व्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, विश्व–शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है।

राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में आज पश्चिम एशिया भी शस्त्रों की स्पर्द्धा में लिप्त है, जिसका प्रमुख कारण उनके मध्य एक–दूसरे के प्रति सन्देह है, जिसके परिणामस्वरूप आज संयुक्त राज्य अमेरिका सहित समस्त अणु सम्पन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों की बिक्री इस क्षेत्र में करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर तुले हुए हैं। इसलिए पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों को आपस के मतभेद को भुलाकर शस्त्रों की होड़ को रोकना होगा तभी राजनीति के दायरे में शान्ति का वातावरण निर्मित हो सकता है।

निष्कर्ष : अतः राजनैतिक आलोक विश्व–शांति के अन्तर्गत निरस्त्रीकरण समस्त विश्व के मानव कल्याण एवं शान्ति हेतु उपयोगी है। इन शस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित ही ये शस्त्र मानव–सभ्यता को ही समाप्त कर देंगे। **चर्चिल** ने ठीक ही राजनैतिक भविष्यवाणी किया था–अगर हम इन आण्विक अस्त्रों को राजनैतिक मंच पर विचार–विमर्श करके समाप्त नहीं करते, तो ये अस्त्र ही हमें समाप्त कर देंगे।

सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची :

1. एस0 डी0 सक्सेना : मंथन, जागरण, प्रकाशन लिमिटेड, दैनिक जागरण प्रेस, भागलपुर, प्रकाशन वर्ष–2014, पृष्ठ संख्या–33
2. विनोबा भावे : विश्व–शांति का राजनैतिक सन्दर्भ, राजघाट वाराणसी : सर्व सेवा संघ, प्रकाशन वर्ष–1975, पृष्ठ संख्या–151
3. महात्मा गाँधी : विश्व शान्ति का अहिंसक मार्ग, अहमदाबाद नवजीवन प्रकाशन मंदिर, प्रकाशन वर्ष–1959, पृष्ठ संख्या–61

4. जी0 एन0 धवन : आलेख, विश्व शांति का राजनैतिक महत्व, राजघाट, वाराणसी : सर्व सेवा संघ, प्रकाशन वर्ष–1964, पृष्ठ संख्या–71

5. नारायण देसाई : निरस्त्रीकरण का परिचय, प्रकाशन वर्ष–1987, पृष्ठ संख्या–23

6. प्यारेलाल नैयर : शान्ति सेना का विकास, राजघाट, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, प्रकाशन वर्ष–1986, पृष्ठ संख्या–61

7. आर0 के0 शास्त्री : विश्व शांति सेना एक सह–चिंतन, गाँधी मार्ग, प्रकाशन वर्ष–1985, पृष्ठ संख्या–37–381